संख्या– २९१ / V / आ0–2016–132(आ0) / 2015

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी।

3– नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तराखण्ड।

4– सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

दि – 08.3.2016

विषयः– भवन निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एकीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया तथा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में भी भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु समय–सीमा निर्धारित की गयी है।

2– बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2016 (Ease of doing business) में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुपालन में, मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुगम करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र स्तर पर मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों की एक तकनीकी समिति गठित की जायेगी, जोकि विकास क्षेत्र से सम्बन्धित मानचित्रों का संयुक्त निरीक्षण कर अपनी संस्तुति / आख्या उपलब्ध करायेगी। संयुक्त निरीक्षण हेतु दिवस का निर्धारण विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा स्थल निरीक्षण आख्या 48 घण्टे के अन्दर सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव।

2210
11/4/16

संख्या— 388 /V/आ0—2016—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मानचित्र स्वीकृति हेतु स्थल निरीक्षण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें:—

(1) अपर मुख्य सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) प्रमुख सचिव, गृह को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस हेतु अग्निशमन विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें।
(4) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(5) सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(6) सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(7) सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(8) वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(9) सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून/हल्द्वानी।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव।